बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

संकल्प

विषय:- **मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु मौजा— गाजीपुर, थाना सं0—191, जमाबंदी संख्या — 289 की 15 एकड़ 01 डिसमिल (पन्द्रह एकड़ शून्य एक डिसमिल) भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—644 दिनांक— 15.06.1999 की कंडिका—05 एवं बिहार खासमहाल नीति, 2011 की कंडिका—1 एवं कंडिका—4 (ड़) में अंकित प्रावधान को शिथिल करते हुए ईशा फाण्डेशन, ईशा योग केन्द्र, वेल्लियांगिरी फुटहिल, कोयंबटूर, तमिलनाडु को 1 रुपये के टोकन मूल्य पर 99 वर्ष के लिए लीज बंदोबस्त किये जाने एवं तदालोक में किये जाने वाले समझौता ज्ञापन प्रारूप (MOU) की स्वीकृति के संबंध में।**

मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर प्राचीन अंग जनपद के रूप में पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अतिमहत्वपूर्ण है। तारापुर, मुंगेर शिव परिपथ के मुख्य केन्द्रों में से एक है, जो काँवरिया पथ पर विद्यमान है। इस पथ पर प्रतिवर्ष विशेषकर श्रावण मास में लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण /काँवरिया सुल्तानगंज से देवघर जलाभिषेक हेतु पैदल यात्रा करते हैं।

2. ईशा फाउण्डेशन, ईशा योग केन्द्र, वेल्लियांगिरी फुटहिल, कोयंबटूर, तमिलनाडु द्वारा एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार उक्त संस्था द्वारा राज्य में आदियोगी और योग केन्द्र की अन्य सुविधाओं की स्थापना तथा आदियोगी की प्रतिष्ठित प्रतिमा की प्रतिकृति की स्थापना हेतु 10—20 एकड़ भूमि के निःशुल्क आवंटन का अनुरोध किया गया है ताकि उक्त भूमि पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त समेकित सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल का निर्माण एवं प्रबंधन उनके द्वारा किया जा सके।

3. उक्त आलोक में ईशा फाउण्डेशन, ईशा योग केन्द्र, वेल्लियांगिरी फुटहिल, कोयंबटूर, तमिलनाडु द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में कृषि विभाग की मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर में मौजा— गाजीपुर, थाना सं0—191, जमाबंदी संख्या — 289 की 15 एकड़ 01 डिसमिल (पन्द्रह एकड़ शून्य एक डिसमिल) भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक — 22.04.2026 को सम्पन्न बैठक में मद् संख्या— 02 के रूप में प्रदान की गयी है।

4. उक्त स्वीकृति के अनुसार स्थल के विकास हेतु पर्यटन विभाग द्वारा उक्त भूमि को ईशा फाउण्डेशन, ईशा योग केन्द्र, वेल्लियांगिरी फुटहिल, कोयंबटूर, तमिलनाडु के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) कर 1 रुपये के टोकन शुल्क पर लीज के माध्यम से 99 वर्ष के लिए उक्त भूमि हस्तान्तरित किया जाना है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत किया गया है। निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय का वहन उपर्युक्त ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा। निर्माण के उपरांत उक्त स्थल का प्रबंधन भी उपर्युक्त ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। उक्त भूमि पर समेकित सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाओं के विकास से न केवल आस—पास के क्षेत्र का विकास होगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

5. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—644 दिनांक— 15.06.1999 की कंडिका— 05 एवं बिहार खासमहाल नीति, 2011 की कंडिका—1 में अंकित प्रावधान के अनुसार नये पट्टे (लीज) के समय जमीन के बाजार मूल्य के बराबर सलामी ली जाती है। इसके

अलावा आवासीय प्रयोजन के लिए उस सलामी का 02 प्रतिशत वार्षिक लगान लिया जाता है तथा व्यवसायिक प्रयोजन के लिए सलामी की राशि का 05 प्रतिशत वार्षिक लगान लिया जाता है। व्यक्ति विशेष या संस्था के साथ शहरी एवं अर्द्धशहरी भूमि को 30 वर्षों के लिए बंदोबस्त करने की शक्ति सरकार में निहित है। 99 वर्ष के लिए लीज बंदोबस्त किये जाने हेतु इस कंडिका को इस हद तक शिथिल किये जाने की आवश्यकता है।

6. **वर्णित परिपेक्ष्य में मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु मौजा– गाजीपुर, थाना सं0–191, जमाबंदी संख्या – 289 की 15 एकड़ 01 डिसमिल (पन्द्रह एकड़ शून्य एक डिसमिल) भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–644 दिनांक– 15.06.1999 की कंडिका–05 एवं बिहार खासमहाल नीति, 2011 की कंडिका–1 एवं कंडिका–4(ड़) में अंकित प्रावधान को शिथिल करते हुए ईशा फाण्डेशन, ईशा योग केन्द्र, वेल्लियांगिरी फुटहिल, कोयंबटूर, तमिलनाडु को 1 रुपये के टोकन मूल्य पर 99 वर्ष के लिए लीज बंदोबस्त किये जाने एवं तदालोक में किये जाने वाले समझौता ज्ञापन प्रारूप (MOU) की स्वीकृति प्रदान करने संबंधित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक – 24.06.2026 को सम्पन्न बैठक में मद् संख्या– 21 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पर्य०यो०रा०– 03/2026 ..../प०वि०, पटना दिनांकः–...........
प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/स्थानिक आयुक्त कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पर्य०यो०रा०– 03/2026 1752/प०वि०, पटना दिनांकः–25/06/26
प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०/निदेशक, पर्यटन निदेशालय/ईशा फाउण्डेशन, ईशा योग केन्द्र, वेल्लियांगिरी फुटहिल, कोयंबटूर, तमिलनाडु /अवर सचिव, ई–गजट कोषांग/आई० टी० मैनेजर, पर्यटन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।
25/6/2026